राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में जिलों के अधिशाषी अभियन्ता (अभि0)/परियोजना अधिकारी (अभि0) की दिनांक 1.12.2015 को समिति कक्ष, उत्तर–पश्चिम भवन, सचिवालय जयपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

आवास योजना :–

1. योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में आवंटित लक्ष्यों अनुसार शत–प्रतिशत एफटीओ दिनांक 9.12.2015 तक जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला राजसमंद, चित्तौडगढ, बांसवाडा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिनकी प्रगति काफी कम है, को विशेष प्रयास करने तथा आवश्यकतानुसार सक्षम कम्प्यूटर एजेन्सी से जॉब आऊट सोर्स बेसिस पर सेवाएं लेकर जिला स्तर पर अभियान के रूप में शत–प्रतिशत एफटीओ जारी कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. .इस कम में आवाससॉफ्ट के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 3.12.2015 से 5.12.2015 तक विशेष मार्गदर्शन हेतु जिलों (बून्दी, उदयपुर, प्रतापगढ, राजसमंद, भीलवाडा, बीकानेर एवं झालावाड) को सम्बन्धित कार्मिक को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि अगर मुख्यालय से समस्या का निराकरण नहीं हो सका तो इन प्रतिनिधियों को उचित मार्गदर्शन हेतु एनआईसी नई दिल्ली में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करवाये जाने हेतु भेजा जावेगा। किसी भी दशा में आवाससॉफ्ट की समस्या को लक्ष्य प्राप्त नहीं होने का कारण स्वीकार नहीं होगा।
3. जिला अलवर, नागौर, चूरू एवं सवाईमाधोपुर द्वारा द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग में अतिरिक्त लक्ष्य चाहे गये है, जिस कम में आवाससाफ्ट पर संशोधित लक्ष्य अपलोड कर दिये जावेंगे। इनकी स्वीकृतियां अविलम्ब जारी कर दी जावे। यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी वर्ग में आवाससाफ्ट पर पंजीकरण की कार्यवाही सतत् रूप से जारी रखी जावे तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग में आवंटित लक्ष्यों से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो जावे तो लक्ष्यों से अधिक भी स्वीकृति जारी कर दी जावे।
4. अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना की समीक्षा उपरान्त निर्देशित किया गया कि लाभार्थियों के चयन हेतु सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम पंचायत चयन की गठित कमेटी के समक्ष लॉटरी द्वारा चयन की प्रकिया दिनांक 7.12.2015 तक पूर्ण करली जावे। राज्य सरकार द्वारा निश्चित 3000 के लक्ष्यों के अनुसार बजट प्रावधान रू. 21 करोड का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग में लिया जाना अनिवार्य है। इस कम में पूर्व में आवंटित लक्ष्य एवं संशोधित आवंटित लक्ष्यों में यदि अंतर हो तथा जिले द्वारा लॉटरी द्वारा पूर्व लक्ष्यों के अनुसार चयन प्रकिया पूर्ण कर ली हो तो तद्नुसार यदि आवश्यक हो तो संशोधन हेतु प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत करें।
5. आवास सहायकों के नियोजन की स्थिति में चर्चा उपरान्त 50 आवासों पर कम से कम एक आवास सहायक लगाकर इनको नियमित प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निर्देशित करते हुए निष्क्रिय सहायको को तुरन्त प्रभाव से उनके दायित्व से मुक्त कर अन्य को आवंटित कर दिया जावे। साथ ही इनको नियमित रूप से मानदेय का भुगतान भी सुनिश्चित किया जावे।
6. वर्ष 2011–12 व 2012–13 के अपूर्ण आवासों को नियत अवधि 3 वर्ष में भी पूर्ण कराने के निर्देशों के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कराये जाने पर खेद प्रकट करते हुए इन्हें प्राथमिकता से 31.12.2015 तक पूर्ण कराने हेतु पुनः निर्देशित किया गया। उक्त आवास

सहायकों के सहयोग से योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 व 2012–13 के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के साथ–साथ विशेषकर वर्ष 2013–14 व 2014–15 के बकाया द्वितीय किश्त के प्रकरण अभियान के रूप में निस्तारित करावें।

7. सी.ए.ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जिलों को निर्धारित दिनांक से अवगत कराकर अंतिम दिनांक 10.12.2015 नियत की गई। 60 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अभाव में भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं होने पर सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
8. योजनान्तर्गत तृतीय पक्ष संस्थाओं/व्यक्तियों आदि को तृतीय पक्ष भौतिक सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। विगत वर्षो में स्वीकृत लेकिन अपूर्ण/बंद/विवादित आवासों के कारणों एवं इन्हे पूर्ण कराने के क्रम में भौतिक सत्यापन/सुझाव/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के क्रम में सभी जिलों को ग्राम पंचायतवार व पंचायत समितिवार एक्सल प्रोरमेट में सॉफ्ट कॉपी में सूची दिनांक 5.12.2015 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
9. जयपुर, जोधपुर, झालावाड, टोंक एवं बांसवाडा जिलों में उक्तानुसार निरीक्षण हेतु तृतीय पक्ष को आदेश दिये गये है, जिन्हें विवादित आवासों की सूची उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के क्रम में दिनांक 2.12.2015 को सूची भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
10. विभाग द्वारा राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु सूची चाही गई थी, जो अप्राप्त है, के क्रम में पुनः स्मरण कराते हुए प्रत्येक जिले से कम से कम 5 प्रशिक्षार्थियों की सूची (अधिकतम सीमा नहीं है) दिनांक 10.12.2015 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
11. जिलों (विशेषतः कोटा, प्रतापगढ, डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, झालावाड, बून्दी, सिरोही एवं पाली) से वन क्षेत्र में निवास करने वाले इंदिरा आवास स्थाई प्रतीक्षा सूची के पात्र लाभार्थी जिन्हें पट्टे के अभाव में लाभान्वित नहीं किया जा सका है, की सूची दिनांक 10.12.2015 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना :–

1. जिला बूंदी, गंगानगर, जयपुर एवं सिरोही के पास पर्याप्त प्रस्ताव नहीं होने से अवशेष राशि समर्पण करने के निर्देश दिये गयें।
2. जिला जैसलमेर, बीकानेर, दौसा, उदयपुर, नागौर, बांसवाड़ा, चुरू, भीलवाड़ा, बाड़मेर, राजसमंद, पाली, झालावाड़, सीकर, अजमेर, बांरा, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ एवं सिरोही को पेन्ड़िग तकनीकी स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये गयें।
3. जिला बीकानेर, बूंदी, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, गंगानगर, भीलवाड़ा, बांरा, अजमेर, झालावाड़ एवं राजसमंद का व्यय 10 प्रतिशत से कम है। व्यय कम होने के कारणों से अवगत करावें तथा योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि के बराबर व्यय करना सुनिश्चित करें।

सांसद/मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एसएजीवाई एवं एमएजीपीवाई के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में सामु. परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्यो में सामग्री मद में अनुमत 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा रुपये 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस हेतु निर्देश विभागीय पत्र दिनांक 01.10.2015 द्वारा जारी किए गये है एवं सभी 33 जिलों को रुपये 10 लाख प्रति चयनित ग्राम पंचायत के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में पत्र दिनांक 08.10.15 द्वारा राशि रुपये 20.60 करोड़ जारी किये गये है । निर्देशानुसार चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृति की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
2. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयनित ग्राम पंचायतों के बेसलाईन सर्वे का कार्य प्रारम्भ कर वीडीपी तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है ।
3. एसएजीवाई/एमएजीपीवाई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में चयनित ग्राम पंचायतों के चार्ज अधिकारी/ सरपंच/ग्राम

सेवक/लाईन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें हर माह आयोजित की जावे । बैठक के कार्यवाही विवरण आवश्यक रूप से जारी कर मुख्यालय भिजवाये जावे ।

सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1. 14वीं लोकसभा के सांसदों एवं पूर्व राज्यसभा सांसदों के योजनान्तर्गत खातों को बन्द कर सूचना राज्य मुख्यालय को भिजवाई जावे । खाता बन्द करने से पूर्व समस्त देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करें ।
2. सांसद योजनान्तर्गत जारी (लोकसभा एवं राज्यसभा) स्वीकृतियों के विरूद्ध अन्य जिलों को जारी राशि का नोडल जिलों द्वारा आईडब्ल्यूएमएस में इन्द्राज किया जाकर आवंटित राशि में से घटाया जावे। इसी प्रकार राशि प्राप्त करने वाले जिले द्वारा प्राप्त राशि का इन्द्राज आईडब्ल्यूएमएस पर किया जावे ।
3. सांसद योजना की भारत सरकार की वेबसाईट में योजना की प्रगति का नियमित रूप से इन्द्राज किया जावे ।
4. सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में अनुशंषित कार्यो की निश्चित समय सीमा में प्रशा./तक./वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जावे ।
5. सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के 01.04.2014 के अपूर्ण कार्यो को माह दिसम्बर 2015 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जावे एवं आईडब्ल्यूएमएस पर प्रगति को नियमित रूप से अपडेट किया जावे ।

परि.निदे. एवं उप सचिव
(मो एवं मू)

कमांकः एफ 4(17)ग्रावि/अनु–8/2015/डीओ/ जयपुर, दिनांक 11/12/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास
6. परि. निदे. एवं उप सचिव,/एसएपी/(मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राज0।
8. परियोजना निदेशक, एसएपी–द्वितीय, ग्रामीण विकास विभाग।
9. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/श्री योजना।
10. परियोजना अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परि.निदे. एवं उप सचिव
(मो एवं मू)